



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 31.08.2022

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:—

थाना मैलानी पुलिस द्वारा, 25 ग्राम अवैध स्मैक बरामद करके अभियुक्त अजय को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 31.08.2022 को थाना मैलानी पुलिस द्वारा गस्त व चेकिंग के दौरान अभियुक्त अजय पुत्र राजू निवासी सासिया कालौनी थाना मैलानी जनपद खीरी को 25 ग्राम अवैध स्मैक बरामद करके गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना मैलानी पर मु0अ0सं0 356/22 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अजय पुत्र राजू निवासी सासिया कालौनी थाना मैलानी जनपद खीरी

बरामदगी-

25 ग्राम अवैध स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 कौशल किशोर
2. का0 जितेन्द्र कुमार चौरसिया
3. का0 अनुराग सिंह
4. का0 सचिन द्वितीय
5. का0 रोबिन सिंह

थाना गोला पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा, 02 किलो 900 ग्राम अवैध गांजा, 01 अदद मोटरसाइकिल व 01 अदद स्कूटी बरामद कर 03 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 31.08.2022 को थाना गोला पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा गस्त व चेकिंग के दौरान 03 नफर अभियुक्तों गोल्ली सिंह, अमित सिंह व रमेश को 2 किग्रा 900 ग्राम गांजा, 01 अदद मोटरसाइकिल व 01 अदद स्कूटी बरामद करके रेलवे क्रासिंग रोड़ थाना गोला से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. गोल्ली सिंह पुत्र विजय सिंह निवासी आदर्श कालोनी निकट 23 वी वाहिनी थाना सिविल लाईन मुरादाबाद संबंधित मु0अ0स0 618/2022 धारा 8/20 NDPS ACT
2. अमित सिंह पुत्र किशन स्वरूप नि0 कुशमी कालोनी थाना गोला जनपद खीरी संबंधित मु0अ0स0 619/2022 धारा 8/20 NDPS ACT
3. रमेश पुत्र रामसनेही निवासी बघोड़ा थाना गोला जनपद खीरी संबंधित मु0अ0स0 620/ 22 धारा 8/20 NDPS ACT

बरामदगी:-

- 2 किग्रा 900 ग्राम गांजा
- 01 अदद मोटरसाइकिल
- 01 अदद स्कूटी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 विपिन कुमार
2. उ0नि0 जयप्रकाश यादव, क्राइम ब्रांच
3. हे0का0 मो0 आरिफ
4. का0 संदीप गुर्जर
5. का0 सूर्य प्रताप राघव
6. का0 श्रीओम, क्राइम ब्रांच
7. का0 सिकन्दर, क्राइम ब्रांच
8. का0 तुषार कुमार, क्राइम ब्रांच
9. का0 विक्रान्त चौधरी, क्राइम ब्रांच
10. का0 ललित चौधरी, क्राइम ब्रांच
11. का0 ललित कुमार, क्राइम ब्रांच

थाना निघासन पुलिस द्वारा, 460 ग्राम चरस व 132 ग्राम नशीला पाउडर बरामद 02 अभियुक्तों व 01 नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम, वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 31.08.2022 को थाना निघासन पुलिस द्वारा गस्त व चैकिंग के दौरान 02 नफर अभियुक्तों मेराज व सुनील उर्फ वसीम को 460 ग्राम चरस व 132 ग्राम नशीला पाउडर बरामद करके ग्राम दुलही रायपुर से सोठियाना जाने वाले खड़जा से गिरफ्तार किया गया व मु0अ0सं0 562/22 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम में वांछित अभियुक्त कमाल पुत्र अबदुल्ला को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. मेराज पुत्र अलीबहादुर नि0 ग्राम सोठियाना थाना निघासन जनपद खीरी संबंधित मु0अ0सं0 700/2022 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट
2. सुनील उर्फ वसीम पुत्र मुनीर निवासी ढखेरवा नानकार थाना निघासन जनपद खीरी संबंधित मु0अ0सं0 701/2022 धारा 8/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट
3. कमाल पुत्र अबदुल्ला निवासी ढखेरवा नानकार थाना निघासन जनपद खीरी संबंधित मु0अ0सं0 562/22 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम

अभियुक्तगण से बरामदगी विवरण-

- 460 ग्राम चरस (अभियुक्त मेराज से बरामद)
132 ग्राम नशीला पाउडर (अभियुक्त सुनील उर्फ वसीम से बरामद)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

टीम-A

- 1.उ0नि0 बाबूराम (चौकी प्रभारी ढखेरवा) थाना निघासन
- 2.का0 जयचन्द्र
- 3.का0 नरेश गंगवार
- 4.का0 प्रेम किशोर

टीम-B

- 1.उ0नि0 गजेन्द्र सिंह (चौकी प्रभारी पढुवा) थाना निघासन
- 2.हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह
- 3.का0 प्रमेश कुमार
- 4.का0 छत्रपाल
- 5.का0 संदीप तिवारी

थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा, 152 ग्राम अवैध नशीला पाउडर बरामद करके अभियुक्त कलवन्त सिंह उर्फ कुलवन्त सिंह को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 31.08.2022 को थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा गस्त व चेकिंग के दौरान अभियुक्त कलवन्त सिंह उर्फ कुलवन्त सिंह पुत्र गुरमुख सिंह निवासी रननगर थाना तिकुनिया जनपद खीरी को 152 ग्राम अवैध नशीला पाउडर सहित दाराबोझी तिराहा से गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना तिकुनिया पर मु0अ0सं0 232/22 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

कलवन्त सिंह उर्फ कुलवन्त सिंह पुत्र गुरमुख सिंह निवासी रननगर थाना तिकुनिया जनपद खीरी

बरामदगी:-

152 ग्राम अवैध नशीला पाउडर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 राजकुमार भारती
2. हे0का0 सुभाष निषाद
3. का0 राजकुमार
4. का0 प्रशांत तेवतिया

थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा, 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद करके अभियुक्त विरेन्द्र साउंत पुत्र कालू साउंत को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 31.08.2022 को थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा गस्त व चेकिंग के दौरान अभियुक्त विरेन्द्र साउंत पुत्र कालू साउंत निवासी खखरौला थाना काला कुण्डा जनपद कैलाली नेपाल राष्ट्र को 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना तिकुनिया पर मु0अ0सं0 231/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

विरेन्द्र साउंत पुत्र कालू साउंत निवासी खखरौला थाना काला कुण्डा जनपद कैलाली नेपाल राष्ट्र

बरामदगी:-

01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 योगेश कुमार
2. का0 अवनीश कुमार
3. का0 संजीव कुमार

थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा,175 ग्राम अवैध नशील पाउडर बरामद करके अभियुक्त मक्खन सिंह को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 31.08.2022 को थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा गस्त व चेकिंग के दौरान अभियुक्त मक्खन सिंह पुत्र कुलवंत सिंह निवासी रननगर थाना तिकुनिया जनपद खीरी को 175 ग्राम अवैध नशीला पाउडर सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना तिकुनिया पर मु0अ0सं0 230/22 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

मक्खन सिंह पुत्र कुलवंत सिंह निवासी रननगर थाना तिकुनिया जनपद खीरी

बरामदगी:-

175 ग्राम अवैध नशीला पाउडर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 राजकुमार भारती
2. हे0का0 सुभाष निषाद
3. का0 राजकुमार
4. का0 प्रंशात तेवतिया

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा, 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद करके अभियुक्त अम्बर यादव को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 31.08.2022 को थाना नीमगांव पुलिस द्वारा गस्त व चेकिंग के दौरान अभियुक्त अम्बर यादव पुत्र पैकरमा निवासी बेहजम थाना नीमगांव जनपद खीरी बरघदिया बाजार वहद ग्राम बेहजम से 01 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद करके गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना नीमगांव पर मु0अ0स0 309/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

अम्बर यादव पुत्र पैकरमा निवासी बेहजम थाना नीमगांव जनपद खीरी

बरामदगी-

01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 सुनील बाबू अवस्थी (चौकी प्रभारी बेहजम) थाना नीमगांव
2. हे0का0 अरुण कुमार
3. का0 रोहित कुमार
4. का0 गगन कुमार

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा, 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद करके अभियुक्त अमन सिंह को गिरफ्तार किया गया।



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 31.08.2022 को थाना नीमगांव पुलिस द्वारा गस्त व चेकिंग के दौरान अभियुक्त अमन सिंह उर्फ चमनू पुत्र अमर सिंह निवासी बहादुरपुर थाना नीमगांव जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद करके अल्वाहपुर तिराहा से गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना नीमगांव पर मु0अ0स0 306/22 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

अमन सिंह उर्फ चमनू पुत्र अमर सिंह नि0ग्राम बहादुरपुर थाना नीमगांव जनपद खीरी

बरामदगी-

01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर

01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 सुनील बाबू अवस्थी (चौकी प्रभारी बेहजम) थाना नीमगांव
2. का0 रोहित कुमार
3. का0 अवधेश सिंह

थाना सम्पूर्णानगर पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा, 100 अदद कैप्सूल पेरवोडोन स्पेस, 100 अदद टेबलेट अल्प्रासेफ व 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद करके अभियुक्त सर्वजीत सिंह पत्र सुच्चा सिंह को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 31.08.2022 को थाना सम्पूर्णानगर पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा गस्त व चेकिंग के दौरान अभियुक्त सर्वजीत सिंह पत्र सुच्चा सिंह नि० सिंघाड़ा उर्फ टाटरगंज थाना हजारा जनपद पीलीभीत को 100 अदद कैप्सूल पेरवोडोन स्पेस, 100 अदद टेबलेट अल्प्रासेफ व 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद करके गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना सम्पूर्णानगर पर मु०अ०स० 230/22 धारा 8/21 NDPS ACT पंजीकृत कर अभियुक्त को मा० न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी-

- 100 अदद कैप्सूल पेरवोडोन स्पेस
- 100 अदद टेबलेट अल्प्रासेफ
- 01 अदद मोटरसाइकिल

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सर्वजीत सिंह पत्र सुच्चा सिंह नि० सिंघाड़ा उर्फ टाटरगंज थाना हजारा जनपद पीलीभीत

पुलिस टीम:-

1. उ०नि० अभिषेक सिंह चौकी (प्रभारी खजुरिया) थाना सम्पूर्णानगर खीरी
2. का० अंचल वर्मा
3. का० पंकज कुमार
4. का० अक्षय चन्द्रवंशी

एसएसबी टीम:-

1. स०उ०नि० कुशनचन्द
2. मु०आ०सा० सनेश्वर डायमेरी
3. सा०आ० पवन कुमार
4. सा०आ० पोन शंकर

थाना पसगवां पुलिस द्वारा, 01 अदद अवैध तमंचा 32 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद करके अभियुक्त प्रेमपाल को गिरफ्तार किया गया।



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 31.08.2022 को थाना पसगवां पुलिस द्वारा गस्त व चेकिंग के दौरान अभियुक्त प्रेमपाल पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम गोकन थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 32 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद करके बहद ग्राम उदयपुर (सल्लिया) से गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना पसगवां पर मु0अ0स0 400/22 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

प्रेमपाल पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम गोकन थाना मोहम्मदी जनपद खीरी

बरामदगी-

01 अदद अवैध तमंचा 32 बोर

02 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 हीरालाल रावत, (प्रभारी चौकी जे0बी0 गंज) थाना पसगवां
2. का0 अभिषेक मिश्रा
3. का0 राजवीर सिंह
4. का0 रामनरेश

बच्चों को तंबाकू उत्पादों के सेवन से बचाने के लिए एंटी टोबैको स्कॉट ने जागरूकता अभियान चलाकर काटे चालान



आज दिनांक 31.08.2022 को उ0प्र0 शासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान एक युद्ध नशे के विरुद्ध क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण में ए0एच0टी0यू0 में नियुक्त प्रभारी निरीक्षक जैनेंद्र कुमार कर्मचारीगण, का0 राजेश कुमार, सैक्रेटिक सोशल वर्कर अतुल कुमार पांडे चाइल्ड लाइन से जिला समन्वयक अधिकारी संतोष कुमार राजवंशी की संयुक्त टीम द्वारा थाना निघासन ढकेरवा चौकी, पदुवा चौकी के अंतर्गत दुकानों की चेकिंग की गयी तथा दुकान मालिकों को हिदायत दी गयी कि किसी भी दशा में छात्र- छात्राओं को तंबाकू, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट न बेचें। चेकिंग के दौरान दुकानों में तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला, बीड़ी बेचने वाले 09 दुकानदारों का धारा 6 ए के तहत चालान काटा गया। मालिकों के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग द्वारा विधिक कार्यवाही की गई।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 215 लीटर अवैध शराब बरामद कर 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **215 लीटर अवैध कच्ची शराब व 06 शराब भट्टी** बरामद कर **15 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **15 अभियोग** पंजीकृत किए गए।